रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1378] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2019/चैत्र 20, 1941
No. 1378] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2019/CHAITRA 20, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2019

का.आ. 1557(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (3) यह उपबन्ध करती है कि ब्यूरो ऐसे निदेश के अनुसार और ऐसे नियमों के अध्यधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए शासी परिषद के माध्यम से इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

और उक्त अधिनियम की धारा (2) का खंड (33) "विनियमन" पद को परिभाषित करता है जिससे अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

और धारा 39 यह उपबन्ध करती है कि कार्यकारी समिति, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियम तथा अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

और उक्त उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड 33 के प्रतिकूल है।

और चूक से, कार्यकारी समिति उक्त अधिनियम की धारा 39 में गलती से उल्लिखित किया है और वह ब्यूरो के स्थान पर, उसके अध्यधीन विनियम बनाने के लिए सशक्त है।

और उक्त त्रुटि में सुधार करने और ब्यूरो के स्थान पर कार्यकारी समिति के प्रति निर्देश से कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता है।

अत: केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो (कठिनाई को दूर करना) आदेश, 2019 है।

2. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 39 में "कार्यकारी समिति" शब्दों के स्थान पर "ब्यूरो" शब्द रखा जाएगा

[फा.सं. 6/6/2014-बी.आई.एस. (पार्ट III)]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 10th April, 2019

S.O. 1557(E).—Whereas, sub-section (3) of section 9 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereafter referred to as the said Act) provides that the Bureau shall perform its functions under this section through the Governing Council in accordance with the direction and subject to such rules as may be made by the Central Government;

And whereas, clause (33) of section 2 of the said Act defines the term "regulation" to mean regulations made by the Bureau under the Act;

And whereas, section 39 provides that the Executive Committee may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules to carry out the purposes of the Act;

And whereas, the said provision is contrary to clause (33) of the section 2 of the said Act;

And whereas, by oversight, the Executive Committee has been erroneously mentioned in section 39 of the said Act and is empowered to make regulations thereunder, instead of the Bureau;

And whereas, there is a need to rectify the said error and to remove the difficulty of reference to the Executive Committee instead of the Bureau;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulty, namely:—

1. Short title and commencement.—This Order may be called the Bureau of Indian Standards (Removal of Difficulty) Order, 2019.

2. In the Bureau of Indian Standards Act, 2016, in section 39, for the words "the Executive Committee", the words "the Bureau" shall be substituted.

[F. No. 6/6/2014-BIS (Pt. III)]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.11 10:30:29 +05'30'